भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2084 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण और मरम्मत केंद्र

†2084. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक वृहद पोत निर्माण और मरम्मत केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केंद्र में कितनी संभावित धनराशि का निवेश होने की संभावना है तथा यह केंद्र कब तक कार्यात्मक हो जाएगा?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति जिले में दुगाराजपटनम में ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव किया हैं। इस क्लस्टर की स्थापना के लिए, विशाखापटनम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) और आंध्र प्रदेश समुद्रीय बोर्ड (एपीएमबी) ने नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश लिमिटेड (एनएसएचआईपीएपी) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाया गया। एनएसएचआईपीएपी के आवेदन के आधार पर, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मई 2026 में ग्रीनफील्ड पोत निर्माण क्लस्टर के विकास के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया हैं।

(ग): एनएसएचआईपीएपी द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रारंभिक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) के अनुसार, एकीकृत पत्तन-सह पोत निर्माण-सह पोत की मरम्मत क्लस्टर के विकास के लिए कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग 29,254 करोड़ रूपये हैं, जिसमें शिपयार्ड और पत्तन सुविधाएं, समुद्री अवसंरचना, सामान्य अवसंरचना, भूमि विकास, उपयोगिता और संबंधित सुविधाओं में निवेश शामिल हैं। ग्रीनफील्ड क्लस्टर का अंतिम अनुमोदन और क्लस्टर विकास की शुरुआत, एनएचएसपीएपी द्वारा एंकर (anchor) शिपयार्ड से एक दृढ़ प्रतिबद्धता प्राप्त करने और क्लस्टर में संभावित निवेश सहित अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर निर्भर है।
